

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/21/2024

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2024/47

अपीलार्थी

श्री हरद्वारीलाल,
ई-30, भू-तल, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 31.07.2024

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 09.10.2024

- उभय पक्ष अनुपस्थित।
- पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
 - अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 27.05.2024 एवं 10.06.2024 के द्वारा आ.ख.नं. 58/2 रकबा 0.17 हैक्टेयर वाके ग्राम-सैमला, तहसील लक्ष्मणगढ पर अवैध निर्माण के संबंध में विविध बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
 - उक्त सूचना आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने / किए गए विनिश्चय के विरुद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
 - आलोच्य अपील में संदर्भित सूचना आवेदन दिनांक: 27.05.2024 एवं दिनांक: 10.06.2024 में वांछित सूचना की विषयवस्तु लगभग समान होने के कारण दोनों आवेदनों पर प्रश्नगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई।
 - उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. आर.टी.आई/2024/1366-67 दिनांक: 29.08.2024, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 27.05.2024 एवं दिनांक: 10.06.2024 के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः पत्र सं. आर.टी.आई/2024/1118-19 दिनांक: 02.07.2024 एवं पत्र सं. आर.टी.आई/2024/1081 दिनांक: 26.06.2024 के माध्यम से उनके अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित दस्तावेजी सूचना से संसूचित किया जा चुका है। अपील में उठाये गये तथ्य, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में निराधार हैं।
 - प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।
 - आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
 - आज दिनांक: 09.10.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)